373

संख्या–60 /VI-2/2013–4(5)2004

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति ,पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2

देहरादून दिनांक : 26 फरवरी, 2013

विषय :–जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी ग्राम में निर्माणाधीन सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के नवनिर्मित भवन के फर्नीसिंग कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1396/सि0सर्वि0पत्रा0/2012–13 दिनांक–21 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या–326/VI-2/2011–4(5)/2004, दिनांक–29 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या–533/VI-2/2011–4(5)/2004, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 तथा पत्र संख्या–39/VI-2/ 2011–4(5)/2004, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के नवनिर्मित भवन के फर्नीसिंग कार्य हेतु ₹305.04 लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यवाही करने हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष ₹81.45 लाख (₹इक्कयासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– फर्निसिंग कार्यो के लिए समस्त अधिप्राप्ति की मदों के सम्बन्ध में मिव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए कय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी। अग्रेत्तर, उक्तानुसार कृत कार्यवाही के आधार पर वास्तविक देय धनराशि (मदवार कय हेतु नियमानुसार निर्धारित एल–1 दरों के अनुसार) की ही स्वीकृति प्रस्तावित की जायेगी। अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कृत कार्यवाही (एल–1 के निर्धारण विषयक) से सम्बन्धित प्रपत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15–12–2008, 414/XXVII (7)/2007 दिनांक 23–10–2008 एवं सं0–594/XXVII

(7)/2010 दिनांक–9–6–2010 के अनुसार MOU गठित कर Bsr-chart/Pert-chart के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्यो का गहन अनुश्रवण किया जाये।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दि0–30–6–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–00–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–06–सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना–24 वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

7–. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–216(P)/XXVII (3)/2012–13 दिनांक–18 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 60 /VI-2/2013–4(5) 2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव